न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिलाबारां (राज.)

प्रकरण सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
/25	आदेश 9 नियम 7 एवं धारा 151	बामला	बारां

प्रार्थी	वाद शीर्षक	अप्रार्थी
लटूरलाल	बनाम	छीतरलाल वगै0
वकील :–	**आदेश पत्रक**	वकीलः–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
7/10/25	अभिभाषक प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी बाबत पुनः नंबर पर कायम किये जाने प्रार्थना पत्र बाजदायरी राजस्व वाद पत्र क्रमांक 71/2004 बउनवान ग्यारसी बाई लटूरलाल बनाम छीतरलाल अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0टी0 एक्ट जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां से दिनांक 27.12.2009 को अदम हाजरी में खारिज हो जाने पुनः नंबर पर लेने हेतु दायर किया हुआ था तथा उक्त प्रार्थना पत्र भी दिनांक 08.08.2025 को अदम हाजरी में खारिज किया जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र पुनः नंबर पर कायम कराये जाने हेतु पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया कि उक्त प्रकरण पूर्व में पुनः नंबर पर लेने हेतु पेश किया गया था जो दिनांक 08.08.2025 को इसी न्यायालय द्वारा निरस्त फरमाया गया है तथा यह प्रार्थना पत्र भी पूर्व की भाती न्यायालय में पेश किया गया जो पूर्व में पेश किये गये प्रार्थना पत्र के समान ही पुनः नंबर लेने हेतु पेश किया गया है इस कारण यह प्रार्थना पत्र 'पूर्व न्याय के सिद्वान्त के आधार पर इस न्यायालय में चलने योग्य नही होने से निरस्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बारॉं	